न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 59/2006

उगमा **बनाम** जीवण व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0

प्रतिवादी संख्या 1 ने यह प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवाद पत्र के कॉलम संख्या 14 में 14(अ) पद नया जोडने की अनुमति प्रदान की जावे। इस पद में प्रतिवादी ने कथन किये है कि दिनांक 8.07.1980 को ख0 न0 55 रक्बा 8–12–00 बीघा व 59 रक्बा 13 बिस्वा उसके पिता के नाम न होकर राजस्व रेकार्ड में सरकारी खाते दर्ज थी सिवायचक भूमि का बेचान नही किया जा सकता अतः बेचाननामा फर्जी व बनावटी है जो प्रतिवादीगण पर शुन्य है वाद मय खर्च खारिज किया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में वादीगण ने निवेदन किया है कि चाहा गया संशोधन बेचाननामा दिनांक 8.07.1980 में अंकित तथ्यों के विपरीत है। प्रकरण शहादत प्रतिवादी में लंबित है अतः अब यह संशोधन विधि की मंशा के विपरीत है इसके कारण वाद की प्रकृति ही बदल जावेगी और पुनः नये सिरे से कार्यवाही प्रारंम्भ करनी पडेगी। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फमार्या जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया यह प्रकरण जुलाई 2006 में दर्ज हुआ और इस पर प्रतिवाद पत्र प्रतिवादीगण ने दिनांक 31.08.2006 को पेश कर दिया और तनकी 1 मई 2008 को कायम कर शहादत में प्रकरण के चलते 4 वर्ष बाद दिनांक 15.02.2012 संशोधन हेतु देरी से लाया गया यह प्रार्थना पत्र काबिल समाअत नही है अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.05 14:38:24 IST
Reason: SelfAttested